सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00120

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 33/2017

1. जयमल राम पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचयत रिडमलसर तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर ।
2. रामकुमार पुत्र भागीरथ निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम विरूद्व पट्टा संख्या 77/12.02.2013 जो कि निगरानीकर्ता के खरीदशुदा भू–खण्ड की जगह में से उत्तर नक्शानुसार जयमल राम के प्लाट के साथ चिपता 35X35 भाग प्लाट नम्बर 245 का भाग की जगह का गलत तौर से व यकतरफा तौर से अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थित :

1. श्री हरजीत सिंह जोली अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री महेन्द्र सिंह राठोड़ अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 02.08.2019**

निगरानी के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार है कि पट्टा सख्या 77/12.02.2013 गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जिस जगह का पट्टा जारी किया है उसके पश्चिम में प्रार्थी का अहाता दिखाया हुआ है जबकि प्रार्थी निगरानीकर्ता ने अहाता सख्या 244,245 को स्व. गुलाराम के वारिसान से क्रय किया हुआ है जिसमें वह जगह भी शामिल है जिसका पट्टा अप्रार्थी सख्या 2 के नाम जारी कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया पट्टा फर्जकारी करके बनाया गया है तथा समस्त पट्टा निरस्तीनय है क्योंकि सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत जो सूचना प्रदान की गई है में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि पट्टा संख्या 77/12.02.2013 जारी किया गया है। रामकुमार पुत्र भागीरथ को जो पट्टा जारी किया गया है उसकी मिसल ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है तथा यह भी लिखा गया है कि नक्शा आबादी भूमि का ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है एवं यह भी लिखा गया है कि खसरा रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तव में पट्टा फर्जी बनाया गया है अथवा कूटरचित रिकॉर्ड बनाया गया है वरना ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में मिसल उपलब्ध होती, नक्शा उपलब्ध होता तथा खसरा रजिस्टर भी उपलब्ध होता। पट्टा में कोई राशि भी अंकित नहीं है जबकि ग्राम पंचायत को निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार हासिल नहीं है तथा ना ही पट्टा में यह अंकित किया गया है कि भू–खण्ड की राशि कितनी किस रसीद नम्बर से किस तारीख को जमा करवायी गई है। इस

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रकार से पट्टा स्पष्ट तौर से फर्जी बनाया जाना स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को किसी जगह का पट्टा जारी किया जाता तो उसके लिए सर्वप्रथम नीलामी सूचना प्रकाशित की जाती। आपत्ति सूचना प्रकाशित की जाती तथा ग्रामवासियों से आपत्ति लेकर तथा सुनवाई करके कार्यवाही की जाती। मगर इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस प्रस्ताव सख्या 4 का कथन कर पट्टा जारी किया गया है उस प्रस्ताव की नकल शामिल है मगर इस प्रस्ताव पर किसी पंच, सरपंच के कोई हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से ना तो कोई कानूनी प्रकिया अपनायी गई तथा ना ही न्यायिक प्रकिया अपनायी गई। गुलाराम के नाम से पंचायत रिकॉर्ड में उपरोक्त अहाताजात दर्ज होने के उपरान्त जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसके हक में जारी पट्टा आदि को निरस्त नहीं किया जाता तब तक कानूनन किसी दूसरे के नाम ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का किसी प्रकार से कोई अधिकार हासिल नहीं था। लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा सख्या 77 दिनांक 12.02.2013 जो कि निगरानीकर्ता की खरीदशुदा जगह तथा अन्य जगह का फर्जी बनाया गया है को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मेरे प्लाट के साथ गुलाराम का प्लाट था। गुलाराम का प्लाट उसके वारिसों ने मुझे विक्रय कर दिया जिसका पट्टा गुलाराम के नाम था जिसकी नकल पंचायत का प्रमाण 20.02.1999 का भी अवलोकन करावाया। मेरा पट्टा वैद्य पट्टा है इसी जगर का पट्टा रामकुमार को 12.02.2013 को दे दिया। पट्टा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.02.2013 द्वारा जारी करना बताया जिस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं है। अतः श्री रामकुमार का पट्टा अवैध घोषित किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित प्लाट गुलाराम की प्रोपर्टी हो का न तो कोई सबूत पेश किया ना ही कोई लिखित पेश की है। दिनांक 22.07.1995 का एग्रीमेंट पेशा किया है जिस पर कोई हस्ताक्षर अथवा पंजीकृत नहीं है। एग्रीमेंट में 35X35 का बेचान बता रहा है किन्तु पूरे प्लाट की साईज कहीं नही लिखा है। मेरा प्लाट नम्बर 242 है जिसका पट्टा जारी है। दिनांक 12.02.2013 को जारी पट्टा नम्बर 77 बुक नम्बर 70 पर सचिव के हस्ताक्षर है पंचायत की कॉपी पर यदि सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है मेरे को जो पट्टा की प्रति दी गई है उस पर सचिव के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा 260/—रूपये की राशि जमा करवाई गई जिसकी रसीद मै पेश कर रहा हूँ। प्रस्ताव संख्या 4 की प्रमाणित पेश कर रहा हूँ। सचिव के हस्ताक्षर प्रस्ताव पुस्तिका के साईड में दब गये है। मेरे द्वारा पुराने कब्जे को नियमित करवाया गया है। प्लॉट नम्बर 242 में जयमल राम हितबद्व पक्षकार नहीं है। मेरा पुराना कब्जा है। मकान बना हुआ है। निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी सख्या 02 को हैरान, परेशान व खर्चे से जैरबार करने के आशय से रंजिशवंश यह निगरानी मिथ्या व निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है जो कि प्रथम दृष्टया खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा जो पट्टे की प्रति पेश की गई है उस पर सचिव एवं सरपंच दोनो के हस्ताक्षर है। निगरानीकर्ता अपना प्लॉट विवादस्पद नम्बर 245 के सन्द्वर्भ में निगरानी पेश कर रहा है जबकि पट्टा प्लॉट नम्बर 242 का है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक विधिक प्रकिया अपनाकर जारी किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत रिडमलसर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 02.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर